छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–50 / रेरा / 2020 / 1123 रायपुर, दिनाँक 21 / 10 / 2020

/ / परिपत्र / /

विषय :– त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, रायपुर दिनाँक 28 / 09 / 2018 व परिपत्र क्रमांक–43 / रेरा / 2020 / 548A, रायपुर, दिनाँक 14 / 05 / 2020 ।

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र क्रमांक–17 के माध्यम से छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित विकास कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होने की वजह से प्राधिकरण ने परिपत्र क्रमांक–43 के माध्यम से जनवरी, 2020 से मार्च 2020 तक तथा अप्रैल 2020 से जून, 2020 तक की तिमाही हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करते हुये दिनाँक 31.10.2020 तक की अवधि निर्धारित की थी। परन्तु समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कोविड–19 के संक्रमण में वृद्धि होने के कारण अभी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित कार्य विपरीत रूप से प्रभावित है। इससे सभी पंजीकृत प्रोजेक्ट्स को उपरोक्त निर्धारित समयावधि में त्रैमासिक अद्यतन करने में कठिनाई हो रही है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रैल से जून, 2020 तक तथा जुलाई से सितम्बर, 2020 तक की तिमाही हेतु त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की समयावधि में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2020 में एक माह की वृद्धि करते हुये अंतिम तिथि 30.11.2020 निर्धारित की जाती है।

2. इसी प्रकार जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2020 में दो माह की वृद्धि करते हुये अंतिम तिथि 31.12.2020 निर्धारित की जाती है।

3. जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यथावत् दिनाँक 31.10.2020 है।

उपरोक्त उल्लेखित अवधि पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क यथावत् देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.